

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(313)नविवि/3/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक

24 MAR 2021

निदेशक स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर
विकास प्राधिकरण।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाडा, कोटा, उदयपुर,
श्रीगंगानगर, आबू, चित्तौडगढ़, जैसलमेर,
बाडमेर, सीकर, पाली, सवाईमाधोपुर।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
मुख्य नगर नियोजक,
नगर नियोजन विभाग,
जयपुर।

मुख्य नगर नियोजन, (एन.सी.आर.)
नगर नियोजन विभाग,
जयपुर

विषय :- अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रित सम्पत्ति के नियमन के संबंध में।

नगरीय विकास न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल द्वारा भूखण्ड आवंटन एवं नीलामी के माध्यम से विक्रय किए जाते हैं, उनकी लीज-डीड (पट्टा) जारी होने से पूर्व ही अपंजीकृत दस्तावेजों से बेचान (चाहे कितनी भी बार हो) कर दिया जाता है, उन प्रकरणों में अंतिम क्रेता के पक्ष में लीज-डीड (पट्टा) निष्पादन की कार्यवाही वित्त विभाग की संलग्न अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/ 2021-273 दिनांक 24.02.2021 अनुसार की जा सकती है।

नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व सहकारी सोसाइटियों द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि का अपंजीकृत दस्तावेजों द्वारा बेचान (चाहे कितनी भी बार हो) कर दिया जाता है, उन प्रकरणों में अंतिम क्रेता के पक्ष में लीज-डीड (पट्टा) निष्पादन की कार्यवाही वित्त विभाग की संलग्न अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/ 2021-273 दिनांक 24.02.2021 अनुसार की जा सकती है।

आज्ञा से,


संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त शासन सचिव -प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
- ✓ 6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-53 dated 14.07.2014, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the following instruments shall be reduced and charged as under:-

S. No.	Description of the Instrument	Stamp Duty Payable at the rate of Conveyance
1	2	3
1.	Every intermediary unregistered and understamped instrument executed on the basis of allotment order in respect of land allotted or sold by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies before getting lease deed from the aforesaid authorities.	On the 1.5 times of the amount of original allotment instead of market value of the property subject to condition that the authority concerned mentioned in column 2 shall issue a certificate stating therein the number of intermediary unregistered and understamped instruments executed in respect of the immovable property and the leaseholder along with his lease deed shall submit such certificate and copies of unregistered and understamped instruments, before the Registering Officer.
2.	Every intermediary unregistered and understamped instrument executed in respect of land allotted or sold by housing co-operative societies, before getting the lease deed from the Urban Local Bodies.	<p>(i) On 10% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed upto March 31, 1995;</p> <p>(ii) On 20% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 1995 to March 31, 2005;</p> <p>(iii) On 30% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 2005 to March 31, 2010;</p> <p>(iv) On 35% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 2010</p>

		<p>to July 14, 2014;</p> <p>(v) On 40% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed on or after July 15, 2014.</p> <p>Note: 1. While issuing lease deed, the Urban Local Body concerned shall issue a certificate mentioning the number of intermediary unregistered and understamped instruments executed in respect of the immovable property along with date of their execution and shall also provide the copies of such intermediary instruments;</p> <p>2. The lease holder along with his lease deed shall submit such certificate and copies of unregistered and understamped instruments, before the Registering Officer.</p>
--	--	---

[No.F.4(2)FD/Tax/2021-273]

By order of the Governor,



(Tina Dabi)

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(15)वित्त/कर/2014-53 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	लिखत का विवरण	हस्तान्तरण पत्र की दर से संदेय स्टाम्प शुल्क
1.	राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आबंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में आबंटन आदेश के आधार पर पूर्वोक्त प्राधिकारियों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	संपत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर मूल आबंटन की रकम का 1.5 गुना पर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि स्तम्भ 2 में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी उस स्थावर संपत्ति के संबंध में निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की संख्या का विवरण देते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और पट्टाधारक उसके पट्टा विलेख के साथ ऐसे प्रमाणपत्र और अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
2.	नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसाइटियों द्वारा आबंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	(i) जहां दस्तावेज 31 मार्च, 1995 तक निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत पर; (ii) जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2005 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर; (iii) जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2010 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत पर; (iv) जहां दस्तावेज 1 अप्रैल, 2010 से 14 जुलाई,

2014 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 35 प्रतिशत पर;

(v) जहां दस्तावेज 15 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात् निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 40 प्रतिशत पर;

- टिप्पण: 1. पट्टा विलेख जारी करते समय संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय, ऐसी स्थावर संपत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों के निष्पादन की तारीख सहित उनकी संख्या वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसी मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां भी उपलब्ध करवायेगा;
2. पट्टाधारक उसके पट्टा विलेख के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रमाणपत्र और अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-273]

राज्यपाल के आदेश से,


(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव